संख्या-11/2110 सी0डी0/46-3-14-20(14)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद,
शाहजहांपुर।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2014

विषय- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर के लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम) 2008टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम) 2008टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-109/दस-54(एम) 2008टी0सी0, दिनांक 27 फरवरी, 2013 के अनुक्रम में कार्यालय उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत सृजित / उपलब्ध पदों के संबंध में नीचे दी गई तालिका के अनुसार वर्तमान ढांचा के स्थान पर पुनर्गठित ढांचा को, दिनांक 27.02.2013 से, एतद्द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

वर्तमान ढांचा				**पुनर्गठित ढांचा**				
क्र0 सं0	पदनाम	पदों की सं0	वर्तमान वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/ प्रक्रिया
						वेतनबैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टंकक	24	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	कनिष्ठ सहायक	46	5200-20200	2000	80 प्रतिशत सीधी भती द्वारा। अर्हता - इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का 'डोयक' (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी.सी.सी." प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते
2	कनिष्ठ लिपिक	22						

http://shasanadesh.up.nic.in

								हों। 5 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ लिपिक	19	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	वरिष्ठ सहायक	19	5200-20200	2800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा- 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	वरिष्ठ सहायक	01	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	प्रधान सहायक	01	9300-34800	4200	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा- 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
	योग	**66**			**66**			

2- लिपिकीय संवर्ग को तद्नुसार पुनर्गठित/संशोधित किये जाने के उपरान्त प्रतिवर्ष आने वाले अतिरिक्त व्यय भार का वहन उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

3- उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप लिपिकीय संवर्ग के कुल पदों की संख्या-66 ही रहेगी तथा उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने पर संबंधित पदधारकों का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम) 2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संबंधित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-6-639/दस-2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2110 (1)सी0डी0/46-3-14-20(14)/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- वित्त नियन्त्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण व्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2,
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6,
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2,
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in